राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर

प्लॉट नं 6–7, एवरेस्ट कॉलोनी, नियर अपैक्स मॉल, लाल कोठी, जयपुर–302015
फोन नम्बर 0141–2988946, 2973804 **Website:-** www.rajasthanparamedicalcouncil.org

क्रमांक:– रा.पै.मेडि.कौं / पंजीयन / 2020 / 483 दिनांक:– 27/2/2020

सार्वजनिक सूचना

विषय:– राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा जारी पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स के पंजीयन प्रमाण–पत्रों को नवीनीकरण (Renewal) किये जाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सर्व साधारण व समस्त पंजीकृत पैरामेडिकल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल के विनियम 2014 के नियम 47 के प्रावधानों के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण–पत्र को नवीनीकरण (Renewal) किये जाने का प्रावधान है। विनियमों के अनुसार प्रमाण पत्र नवीनीकरण (Renewal) के लिए प्रमाण पत्र की अन्तिम वैद्यता तिथि से तीन माह पूर्व आवेदन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, नवीनीकरण हेतु निर्धारित शुल्क रूपये 1500/– है। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा अन्तिम वैद्यता तिथि से तीन माह पूर्व नवीनीकरण (Renewal) के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता है इस तिथि के पश्चात् ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र की अन्तिम वैद्यता तिथि तक विलम्ब शुल्क 500/– रूपये अतिरिक्त जमा करवाते हुए आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

अन्तिम वैद्यता तिथि तक पंजीयन प्रमाण पत्र को नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने पर संबंधित का नाम पंजीयन रजिस्टर से हटाये जाने का प्रावधान है।

इस दिनांक के पश्चात् नवीनीकरण आवेदनों पर निर्धारित नवीनीकरण शुल्क तथा विलम्ब शुल्क के साथ प्रतिमाह रूपये 300/– की शास्ति के साथ जमा करवाये जाने के उपरान्त ही नवीनीकरण हेतु विचारण किया जा सकेगा।

नोट:– पंजीयन प्रमाण–पत्रों को नवीनीकरण (Renewal) करवाये जाने हेतु अभ्यर्थी स्वंय ही उपरोक्त निर्धारित शुल्क / विलम्ब शुल्क के अनुसार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ मूल पंजीयन प्रमाण पत्र कार्यालय में जमा करवायेंगे।

27/2/2020
रजिस्ट्रार